



# जन्मजात नागरिकता खत्म करने के दृम्प के आदेश पर कोर्ट ने अस्थायी रोक लगाई

**सिएटल डिस्ट्रिक्ट जज जॉन कॉफनौर ने दृम्प के आदेश को पहला कानूनी झटका दिया**

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 24 जनवरी सिएटल में एक फैडरल जज ने राष्ट्रपति अमेरिका के उस कार्यकारी आदेश पर अस्थायी रुप से रोक लगा दी है, आदेश कार्यकारी अंजाम में जन्म लेने वाले बच्चों के स्वतः अमेरिकन नागरिकता के अधिकार और रोक लगा दी गई थी। कोर्ट के फैसले से अमेरिका में रह रहे भारतीय परिवारों को राहत मिली है, खासकर उन्हें जो एच वन वी जीजा पर वहाँ रह रहे हैं।

अमेरिका ने इस नीति के क्रियान्वय पर 14 दिन की रोक लगा दी है।

दृम्प ने कार्यालय में पहले ही यह आदेश जारी कर दिया, जिसमें अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों के माता-पिता में से कोई भी अमेरिकन नागरिक नहीं है तो उन्हें अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलती।

- कोर्ट के इस आदेश से उन गर्भवती महिलाओं को राहत मिली है जो 20 फरवरी से पहले बच्चे को जन्म देने के लिए डॉक्टरों के पास जा रही हैं।
- सिएटल के डिस्ट्रिक्ट जज जॉन कॉफनौर ने 14 दिन के लिए इस आदेश पर रोक लगा दी है। पहले से ही संभावना थी कि जन्मजात नागरिकता खत्म करने के दृम्प के फैसले की राह में भारी कानूनी अङ्गठन आएगी।
- जन्म के आधार पर अमेरिका की नागरिकता मिलने के कानून के खत्म करने वाला दृम्प का एज़्जीक्युटिव ऑफर 20 फरवरी से लागू होना है और अप्रवासी गर्भवती महिलाओं, खासकर भारतीय, में 20 फरवरी से पहले बच्चे को जन्म देने की होड़ लगी है, जिसके लिए वो किसी भी होड़ तक जा सकती हैं।

दृम्प द्वारा हस्ताक्षरित आदेश, जो गायनोकॉलाजिस्ट के पास अचानक ही 19 फरवरी से लागू होना था, अमेरिका एवं जन्म लेने वाले लाखों बच्चों को गर्भवती भारतीय महिलाओं की बाद आ भी अमेरिकन नागरिकता के बाद आ भी अमेरिका की नागरिकता नहीं है तो उन्हें अमेरिका की नागरिकता के कानूनों को पुनः परिवर्तित करने में दृम्प के प्रयासों को पहला बड़ा झटका लगा है।

अमेरिका उन 30 दोस्रों में से एक है, जहाँ जन्म के आधार पर नागरिकता है, ताकि उनके बच्चे को अमेरिकन नागरिकता मिल जाए, क्योंकि 20 नागरिकता मिल जाए, ताकि उनके बच्चे को जन्म देने से पहले एच वन वी जीजा पर वहाँ रह रहे हैं।

अमेरिका के डॉक्टर व फरवरी से दृम्प का आदेश लागू हो गया।

जाएगा और उसके बाद जन्मे बच्चों को अमेरिकन नागरिकता नहीं मिलेगी, 20 फरवरी के बाद जन्मे बच्चों को जब ही नागरिकता मिल पाएगी, जब इनके माता-पिता में से एक अमेरिकन नागरिक हो या ग्रीन कार्ड धारक हो। ऐसा नहीं हुआ तो 21 साल का होने पर उन्हें अमेरिका छोड़ा होगा।

दृम्प का ऑर्डर कार्राई है कि जो लोग अमेरिका के नागरिक नहीं हैं, उनके अमेरिका में जन्मे बच्चे अमेरिकन नहीं हैं। दृम्प ने फैडरल एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि उन बच्चों को नागरिकता न दी जाए, जिनके माता-पिता में से एक भी अमेरिकन नागरिक नहीं है।

जन्म के आधार से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला 1898 में आया था, जब कोर्ट ने वॉन-वी जीजा पर वहाँ रह रही अमेरिकी नागरिक कर दिया था, वॉन-वीनी अवैधी माता-पिता की संस्तान थे, पर अमेरिका में जन्मे थे, इसलिए उन्हें अमेरिकन नागरिक माना गया। किम को विदेश जात्रा के बाद संघीय सरकार ने प्रेसेंस देने से मना कर दिया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जाएगा और जन्म लेने के बाद भारतीय महिलाओं की बाद आ भी अमेरिका की नागरिकता के कानूनों को पुनः परिवर्तित करने में दृम्प के प्रयासों को पहला बड़ा झटका लगा गया।

यह अद्यतन आपार्टमेंट्स के बारे में जारी हो रहे हैं।

जारी होने के बाद भारतीय महिलाओं की बाद आ भी अमेरिका की नागरिकता के कानूनों को पुनः परिवर्तित करने में दृम्प के प्रयासों को पहला बड़ा झटका लगा गया।

जारी होने के बाद भारतीय महिलाओं की बाद आ भी अमेरिका की नागरिकता के कानूनों को पुनः परिवर्तित करने में दृम्प के प्रयासों को पहला बड़ा झटका लगा गया।

जारी होने के बाद भारतीय महिलाओं की बाद आ भी अमेरिका की नागरिकता के कानूनों को पुनः परिवर्तित करने में दृम्प के प्रयासों को पहला बड़ा झटका लगा गया।

जारी होने के बाद भारतीय महिलाओं की बाद आ भी अमेरिका की नागरिकता के कानूनों को पुनः परिवर्तित करने में दृम्प के प्रयासों को पहला बड़ा झटका लगा गया।

जारी होने के बाद भारतीय महिलाओं की बाद आ भी अमेरिका की नागरिकता के कानूनों को पुनः परिवर्तित करने में दृम्प के प्रयासों को पहला बड़ा झटका लगा गया।

जारी होने के बाद भारतीय महिलाओं की बाद आ भी अमेरिका की नागरिकता के कानूनों को पुनः परिवर्तित करने में दृम्प के प्रयासों को पहला बड़ा झटका लगा गया।

जारी होने के बाद भारतीय महिलाओं की बाद आ भी अमेरिका की नागरिकता के कानूनों को पुनः परिवर्तित करने में दृम्प के प्रयासों को पहला बड़ा झटका लगा गया।

जारी होने के बाद भारतीय महिलाओं की बाद आ भी अमेरिका की नागरिकता के कानूनों को पुनः परिवर्तित करने में दृम्प के प्रयासों को पहला बड़ा झटका लगा गया।

जारी होने के बाद भारतीय महिलाओं की बाद आ भी अमेरिका की नागरिकता के कानूनों को पुनः परिवर्तित करने में दृम्प के प्रयासों को पहला बड़ा झटका लगा गया।

जारी होने के बाद भारतीय महिलाओं की बाद आ भी अमेरिका की नागरिकता के कानूनों को पुनः परिवर्तित करने में दृम्प के प्रयासों को पहला बड़ा झटका लगा गया।

जारी होने के बाद भारतीय महिलाओं की बाद आ भी अमेरिका की नागरिकता के कानूनों को पुनः परिवर्तित करने में दृम्प के प्रयासों को पहला बड़ा झटका लगा गया।

जारी होने के बाद भारतीय महिलाओं की बाद आ भी अमेरिका की नागरिकता के कानूनों को पुनः परिवर्तित करने में दृम्प के प्रयासों को पहला बड़ा झटका लगा गया।

जारी होने के बाद भारतीय महिलाओं की बाद आ भी अमेरिका की नागरिकता के कानूनों को पुनः परिवर्तित करने में दृम्प के प्रयासों को पहला बड़ा झटका लगा गया।

जारी होने के बाद भारतीय महिलाओं की बाद आ भी अमेरिका की नागरिकता के कानूनों को पुनः परिवर्तित करने में दृम्प के प्रयासों को पहला बड़ा झटका लगा गया।

जारी होने के बाद भारतीय महिलाओं की बाद आ भी अमेरिका की नागरिकता के कानूनों को पुनः परिवर्तित करने में दृम्प के प्रयासों को पहला बड़ा झटका लगा गया।

जारी होने के बाद भारतीय महिलाओं की बाद आ भी अमेरिका की नागरिकता के कानूनों को पुनः परिवर्तित करने में दृम्प के प्रयासों को पहला बड़ा झटका लगा गया।

जारी होने के बाद भारतीय महिलाओं की बाद आ भी अमेरिका की नागरिकता के कानूनों को पुनः परिवर्तित करने में दृम्प के प्रयासों को पहला बड़ा झटका लगा गया।

जारी होने के बाद भारतीय महिलाओं की बाद आ भी अमेरिका की नागरिकता के कानूनों को पुनः परिवर्तित करने में दृम्प के प्रयासों को पहला बड़ा झटका लगा गया।

जारी होने के बाद भारतीय महिलाओं की बाद आ भी अमेरिका की नागरिकता के कानूनों को पुनः परिवर्तित करने में दृम्प के प्रयासों को पहला बड़ा झटका लगा गया।

जारी होने के बाद भारतीय महिलाओं की बाद आ भी अमेरिका की नागरिकता के कानूनों को पुनः परिवर्तित करने में दृम्प के प्रयासों को पहला बड़ा झटका लगा गया।

जारी होने के बाद भारतीय महिलाओं की बाद आ भी अमेरिका की नागरिकता के कानूनों को पुनः परिवर्तित करने में दृम्प के प्रयासों को पहला बड़ा झटका लगा गया।

जारी होने के बाद भारतीय महिलाओं की बाद आ भी अमेरिका की नागरिकता के कानूनों को पुनः परिवर्तित करने में दृम्प के प्रयासों को पहला बड़ा झटका लगा गया।

जारी होने के बाद भारतीय महिलाओं की बाद आ भी अमेरिका की नागरिकता क













